



केन्द्रीय सूचना आयोग
दूसरा तल, बी विंग, अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

संचित संख्या: CICOM/R/2017/00444/CR-1

दिनांक : 04.05.2017

सेवा में,

श्री पर्भुन्द सेवा निवृत्त
उत्पाद सिपाही
शिव दयाल सिंह के मकान में
ग्राम - आनन्द बाज़ार, पुरानी ताराचक
पो + थाना - दानापुर केन्ट
जिला - पटना, बिहार - 801503

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपका आवेदन दिनांक शून्य है, जिसके तहत आप जो सूचना अभिप्राप्त करना चाहते हैं, जो इस केन्द्रीय रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 18.04.2017 को प्राप्त हुआ है। जिसका उत्तर निम्नानुसार है:-

रिकॉर्ड में कोई भी चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि सुविधा मेमो के साथ सभी उपलब्ध दस्तावेजों को आवेदक को मूल रूप से वापिस कर दिए जाते हैं एवं उसकी प्रति आयोग में नहीं रखी जाती, तथापि आपने जो कुछ दस्तावेजों को अपने पत्र के साथ लगाये हैं उस से प्रतीक होता है कि आपके पत्र में विषय grievance related matter के संबंधित प्रतिक होता है। अगर आप को ऐसा नहीं लगता है, एवं आप प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से अथवा प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा आपकी अपील का निपटारा न किये जाने से वयर्थित हैं तो आप आयोग के समक्ष रूल 8 में दर्शाये गए परिशिष्ट में दिए गए रूपविधान में अपील फाइल कर सकते हैं, सूचना प्राप्त करने हेतु इस अपील के साथ अपीलार्थी के सम्प्राप्त रूप से अभिप्रमाणित और सत्यापित दस्तावेजों जो कि रूल 8 आर टी आई एक्ट, 2012 में दर्शाये गए हैं लगाने आवश्यक हैं। तभी उस अपील पर कार्यवाही आर टी आई एक्ट, 2005 के तहत हो सकती है।

रूल 8 (साथ में परिशिष्ट) और रूल 9 आर टी आई एक्ट, 2012 की प्रति जो कि पब्लिक डोमेन में से डाउन लोड की गई है जिसकी सत्यापित प्रति संग्रहण की जा रही है।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रान्ति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066.

संग्रहण: उपरोक्त

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिव पंजीयक -उप /
केन्द्रीय रजिस्ट्री - 1

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग।

(कृष्ण अवतार तलवार)

